कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र.का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/प्रशिक्षण/ 3845 **जबलपुर दिनांक** 23/09/26

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत छात्र प्रशिक्षणार्थियों हेतु एक वर्षीय On-the-Job-Training (OJT) प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रण हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, म.प्र. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वी/ आई.टी.आई. (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग)/डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)/स्नातक (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) उत्तीर्ण हो, के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1232/1234356/2023/42-2 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से लागू मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), स्टेनो (हिन्दी), स्टेनो (इंग्लिश), सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मानव संसाधन एवं एकाउंट्स जैसे विषयों पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को उद्योग उन्मुख एक वर्षीय On-the-Job-Training (OJT) प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। उक्त प्रशिक्षण (एक वर्ष) हेतु वर्तमान में कुल 559 रिक्तियां हैं, जो कि कार्या. का.नि. (मा.सं.एवं प्रशा.) जबलपुर, मुख्यालय जबलपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, कम्पनी के ताप विधुत गृहो क्रमश: सारणी, बिरसिंहपुर, चचाई, खंडवा, जबलपुर एवं जल विधुत गृहो मंदसौर, नागपुर, सिरमौर, उमरिया, अशोकनगर, शहडोल, रीवा, सतना, शिवपुरी में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभिन्न पद रिक्त हैं, जिनका स्थानवार एवं विषयवार विवरण संलग्न है।

नोट:- उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त योजना के तहत पूर्व में प्रशिक्षण/लाभ प्राप्त कर लिया है, इस योजना हेतु पुनः योग्य नहीं होंगे।

योजना के तहत पात्रता:

1.1. आयु संगणना तिथि**: 01.01.2026**
1.2. अभ्यर्थियों की आयु **18** से **29** वर्ष होनी चाहिए।
1.3. शैक्षणिक योग्यता 12वी/ आई.टी.आई. (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) / डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) / स्नातक (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) उत्तीर्ण होना चाहिए।
1.4. योजना के तहत चयनित युवा/ युवतियो को छात्र-प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा।
1.5. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है।
1.6. प्रशिक्षण की अवधि केवल **1** वर्ष **(12** माह) रहेगी।

MPPLR

2. चयन प्रक्रिया:

2.1. म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर द्वारा निर्धारित की गयी अंतिम समय सीमा दिनांक **15.10.2026** तक प्राप्त आवेदनों की उप-स्थानवार विस्तृत सूची, उप-स्थान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके डाउनलोड की जाएगी तथा **OJT** जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हुए पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक योग्यता जैसे 12वी, आई.टी.आई. (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) / डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) / स्नातक (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरियता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

2.2. चयन होने पर चयनित अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जायेगा जिसे चयनित अभ्यर्थी द्वारा योजना के तहत निर्धारित समयावधि में स्वीकार अथवा अस्वीकार करना होगा। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं किया गया तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट स्वतः ही निरस्त हो जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

2.3. चयनित उम्मीदवारों की सूची पृथक से जारी नहीं की जायेगी। अतः उम्मीदवारों को समय-समय पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन पोर्टल का अवलोकन करना होगा।

2.4. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.5. चयनित उम्मीदवार को **OJT** जिले के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु कहीं भी संलग्न किया जा सकता है।

2.6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में उक्त योजनांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तो वह अभ्यर्थी पुनः आवेदन नहीं कर सकता। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

2.7. विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरियता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियों एवं इस अवधि में समय-समय पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरियता सूची के अनुसार की जा सकेगी।

3. स्टाईपेंड:-

अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेंड देय होगा जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	**कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**	**छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टिपेन्ड की कुल राशि (रु. में)**		
		प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टाईपेंड की कुल राशि (25%)	**राज्य शासन के द्वारा छात्र प्रशिक्षणार्थियों को DBT के माध्यम से प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टाईपेंड की कुल राशि (75%)**	**कुल राशि (100%)**
1.	12वी	2000	6000	8000
2.	आईटीआई उत्तीर्ण	2125	6375	8500
3.	डिप्लोमा उत्तीर्ण	2250	6750	9000
4.	स्नातक उत्तीर्ण या उच्च	2500	7500	10000

MPPLR

नोटः उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते, लाभ की पात्रता नहीं होगी। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि (1) वर्ष तक ही स्टाईपेंड दिया जावेगा। यदि किसी छात्र-प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण अवधि के मध्य प्रशिक्षण छोड़ दिया जाता है तो प्रशिक्षण के शेष बचे दिवसों का भुगतान नहीं किया जावेगा, न ही वे बाद में प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु मांग कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन में दर्ज उपस्थिति एवं कार्यालय द्वारा सत्यापित उपस्थिति के अनुसार ही मासिक स्टाईपेंड का भुगतान किया जावेगा। उपस्थिति के संबंध में अंतिम निर्णय म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के संबंधित कार्यालय/पावर स्टेशन के अवलोकन में होगा।

4. **चिकित्सा/स्वास्थ्य मानकः**

4.1. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जावेगा। चयनित होने के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों को फिटनेस सम्बंधी प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है।

5. **आवेदन कैसे करें:**

5.1. अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन पोर्टल **(https://mmsky.mp.gov.in/Web/Candidate/Registration)** के माध्यम से आवेदन करना होगा।

5.2. इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है।

5.3. समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल सक्रिय/उपलब्ध होना चाहिए।

5.4. समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी किया जाना आवश्यक है। (यहाँ ई-केवाईसी का आशय समग्र पोर्टल पर आधार डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान है)

5.5. समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवाने एवं चेक करने हेतु समग्र पोर्टल **(https://samagra.gov.in)** पर जायें। समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी के पश्चात स्टेटस अपडेट होने में सामान्यतः **24** घंटे लगते हैं।

5.6. अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें।

5.7. अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **(12वीं/आईटीआई/डिप्लोमा/स्नातक)** की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित अंकसूची की सॉफ्टकॉपी (अधिकतम आकार **500KB,** प्रकार केवल पीडीएफ) तैयार रखें।

5.8. बैंक खाता आधार से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। स्टाईपेंड आपके आधार लिंक खाते में ही प्राप्त होगा।

5.9. आवेदक अपना पंजीयन करने के पश्चात संलग्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं।

5.10. केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा।

5.11. दिनांक **01.04.2026** से दिनांक **15.10.2026** की रात्रि **11:59** बजे तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5.12. पंजीयन में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर सम्बंधित जिला स्तरीय आईटीआई से संपर्क किया जा सकता है।

MPPLR

6. **महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:**

6.1. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे उक्त योजनांतर्गत प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।

6.2. प्रशिक्षण हेतु रिक्तियां केवल म.प्र. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं।

6.3. यदि चयन प्रक्रिया अथवा प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी निर्धारित अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करते हैं अथवा वे प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अथवा उन्होंने योग्यता/अर्हताओं से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाई है अथवा कोई गलत जानकारी दी है, तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त की जा सकेगी अथवा प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकेगा।

6.4. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निराकरण, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एवं लागू संशोधनो के प्रावधानुसार किया जायेगा।

6.5. अभ्यर्थी चयन हेतु म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर द्वारा लागू किये गए स्थापित नियमों एवं भविष्य में लागू किंये जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

6.6. म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।

6.7. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जावेगी।

6.8. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह विज्ञापन केवल On-the-Job-Training के लिये है। म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर मं नियमित नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक (मा. सं. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर

MPPLR